संशोधित

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1

संख्या– 1050/I/2015-05/14/2009

देहरादून : दिनांक : 01, अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013 के प्रस्तर–28 के प्राविधानों में निहित व्यवस्था के आलोक में, इस नीति में निम्न तालिका के अनुसार स्तम्भ–1 में उल्लिखित नियमों के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियमों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" वर्तमान नियम स्तम्भ–1	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" पुनरीक्षित नियम स्तम्भ–2
1.	(15) समय अनुसूची इस नीति के अधीन सौर परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय अनुसूची निम्नलिखित है: क) सौर पी0वी0 हेतु – परियोजना आवंटन की तिथि से *18 माह।*	(15) समय अनुसूची इस नीति के अधीन सौर परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय अनुसूची निम्नलिखित है: क) सौर पी0वी0 हेतु – परियोजना आवंटन की तिथि से *12 माह।*
1.	(17) प्रतिभूति जमा (दो) निजी भूमि पर संस्थापित परियोजना :– सफल विकासकर्ता को प्रतिभूति के रूप में रू0 5 लाख प्रति मेगावॉट या उसके भाग की दर से जमा कराने होंगे। बैंक गारंटी की मान्यता सौर पीवी परियोजनाओं के मामले में *24 माह* होगी।	(17) प्रतिभूति जमा (दो) निजी भूमि पर संस्थापित परियोजना :– सफल विकासकर्ता को प्रतिभूति के रूप में रू0 5 लाख प्रति मेगावॉट या उसके भाग की दर से जमा कराने होंगे। बैंक गारंटी की मान्यता सौर पीवी परियोजनाओं के मामले में *15 माह* होगी।
3.	संलग्नक–3 क) सौर पी वी परियोजनाओं और सौर तापीय परियोजनाओं के लिये वित्तीय योग्यता मानदण्ड :– निवल संपत्ति कंपनी की "निवल संपत्ति" परियोजना क्षमता के *रू0 3.00 करोड़* या उसके समतुल्य यूएस डॉलर प्रति मेगावॉट की दर पर परिकलित मूल्य के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिये।	संलग्नक–3 क) सौर पी वी परियोजनाओं और सौर तापीय परियोजनाओं के लिये वित्तीय योग्यता मानदण्ड :– निवल संपत्ति कंपनी की "निवल संपत्ति" परियोजना क्षमता के *रू0 1.50 करोड़* या उसके समतुल्य यूएस डॉलर प्रति मेगावॉट की दर पर परिकलित मूल्य के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिये।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना में निहित बिन्दु सं0–15, 17 एवं संलग्नक–3 के (क) में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त शेष नियम अधिसूचना सं0– 1044/I/2013-5/14/2009 दि0–27–06–2013 के अन्य सभी प्राविधान यथावत् मान्य होंगे।

उक्त संशोधित अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1050/I/2015-5/14/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्उ शासन।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
5. सचिव समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0/उपाकालि/पिटकुल, देहरादून।
7. निदेशक, राजकीय फोटो लीथो प्रैस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 50 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव

Scanned with CamScanner